न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 20/2023 बउनवानी कैलाशनारायण शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा, हाल निवासी गीता भवन के पास रामलीला मैदान शहर,स0मा0

GCMS No-2023/40

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
21.6.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 13.02.23 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. मु0न0 97/2020 दिनांक 19.10.2020 इस्तगासा 107–116(3) में संलग्न समस्त दस्तावेजो, रिपोर्ट, तहरीर, इस्तगासा व बयान विपक्षी द्वारा प्रेषित स्टाम्प, बयानो, दस्तावेजो आदि की सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2023/480 दिनांक 16.06.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2023 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक 454 दिनांक 9.6.2023 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.02.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक 454 दिनांक 9.6.2023 के द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। किन्तु उक्तानुसार चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अधिनियम की तय समय सीमा मे उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का प्राथमिकता से अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के स[illegible] की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं ब[illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:37:30 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]मार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर